भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1459
सोमवार, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

औपचारिक रोजगारों की आवश्यकता

1459. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इच्छुक लोगों को औपचारिक रोजगार प्रदान करने के लिए अधिक औपचारिक उद्यमिता और गैर-कृषि रोजगारों की बहुत अधिक आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एकल श्रमिक कोड, व्यापार- हस्तक्षेप में सुगमता पहल, नकदी-रहित लेन-देन, संशोधित श्रम कानून-कुछ ऐसे सुधार हैं जिनकी अब देश को आवश्यकता है और यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रोजगार की समस्या के समाधान हेतु देश के श्रम कानूनों में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें पहले सुधार करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा रोजगार की समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने तथा विभिन्न योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। इस योजना का दोहरा लाभ है। जहां, एक ओर नियोक्ताओं को प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार आधार को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है वहीं दूसरी ओर इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच होगी। योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक कार्यबल में शामिल करना है।

श्रम कानूनों में सुधार करना समय की मांग को पूरा करने हेतु विधायी व्यवस्था को अद्यतन करने के लिए एक सतत प्रक्रिया है, ताकि उन्हें और-अधिक प्रभावी, लोचशील तथा उभरते हुए आर्थिक एवं औद्योगिक परिदृश्य के साथ समन्वित किया जा सके। श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है कि विद्यमान श्रम कानूनों को व्यापक रूप से कार्यात्मक आधार पर चार अथवा पांच श्रम संहिताओं में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तदनुरूप, मंत्रालय ने मजदूरी, औद्योगिक संबंधों, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण तथा व्यावसायिक सुरक्षा, क्रमशः स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाओं, विद्यमान केंद्रीय श्रम कानूनों के संगत प्रावधानों का सरलीकरण करके, मिलाकर एवं युक्तिसंगत बनाकर, चार श्रम संहिताओं के मसौदे हेतु कदम उठाए हैं। ये पहलें श्रम कानूनों की बहुलता के कारण अनुपालन में जटिलता को कम करेंगी तथा उद्यमों की स्थापना को सुकर बनाएंगी। साथ ही, इस प्रकार देश में व्यापार एवं उद्योग के विकास हेतु वातवरण को सृजित करने तथा कामगारों की सुरक्षा, सुरक्षितता तथा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बगैर रोजगार अवसरों को सृजित करेंगी।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक, योजना के तहत 18.26 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

स्टार्ट अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है, जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार तक पहुंच हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****